

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, माघ २६ गते २०३२ साल

महालेखापरीक्षकको विभागको

सूचना

लेखापरीक्षकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३२

लेखापरीक्षकसम्बन्धी नियमावली, २०३२ (यसपछि “मूल नियमावली” भनिएको) लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

लेखापरीक्षकसम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महा-लेखापरीक्षकले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:— (१) यी नियमहरूको नाम “लेखापरीक्षकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३२” रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. मूल नियमावलीको अनुसूची (क), (ग), (ङ) र (च) मा संशोधन:— मूल नियमावलीको अनुसूची (क) मा रहेको क्रमसंख्या ११ पछि क्रमसंख्या १२, अनुसूची (ग) मा रहेको क्रमसंख्या ५ पछि क्रमसंख्या ६, अनुसूची (ङ) मा रहेको क्रमसंख्या ८ पछि क्रमसंख्या ९ र अनुसूची (च) मा रहेको क्रमसंख्या ८ पछि क्रमसंख्या ९ थपि यसरी थपिएको प्रत्येक क्रमसंख्यामा देहायको वाक्यांश थपिएको छ:—

“आयकर बुझाएको वा बुझाउनु नपर्ने कर कार्यालयको निस्सा साथ राख्ने।”

(९)

सरदार भीमबहादुर पाण्डे
महालेखापरीक्षक

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

रूपचात्र लास

६ गण

काशीकर १९५०

लास १९०९ का ३९ भाग, डिप्लोमा

किताबों की किताबों की किताबों

किताबों

१९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों १९०९, किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों

किताबों की किताबों की किताबों

(३)

आधिकारिकता मुद्रा विभागाबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।